कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, उत्तराखण्ड

महिला किसान पौधालय योजना के संचालन हेतु दिशा-निर्देशिका

अनुक्रमणिका

1. भूमिका

2. समूह क्या है?

3. समूह की आवश्यकता क्यों ?

4. समूह में सहभागिता

5. स्वयं सहायता समूह से समूह के सदस्यों को लाभ

6. समूह की नियमावली

7. समूह के अभिलेख

8. महिला किसान पौधालय योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश

9. क्षेत्र भ्रमण के दौरान विगत वर्षों में क्रियान्वित इस योजना के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव।

1. भूमिका

"संगठन में शक्ति है" यह उक्ति आज भी उतनी ही शत-प्रतिशत सही है जितना कि सदियों पहले थी। पारस्परिक रूप से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य (कृषि कार्य सामाजिक कार्य आदि) मिल जुल कर ही सम्पादित किये जाते हैं। विगत कई वर्षों से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकारी विभागों व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

महिलाओं द्वारा परिवार, गाँव, समाज व देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के फलस्वरूप भी वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पूरी तरह सशक्त नहीं हो पायी हैं, आज भी उनमें आत्म विश्वास, हिम्मत, ज्ञान, कौशल, गुणों व हुनर को पहचान कराने की आवश्यकता है।

इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वन पंचायतों में महिलाओं की सशक्त भूमिका सुनिश्चित किए जाने हेतु वन विभाग के वन पंचायत कार्यालय द्वारा महिला किसान पौधालय योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को पौधालय तकनीक, पौधालय बनाने का प्रशिक्षण, वाह्य स्थानों का भ्रमण व रोजगारपरक प्रशिक्षण करवाकर उन्हें वनीकरण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है।

महिला समूहों द्वारा सामूहिक रूप से पौध उगाने हेतु विभागीय दरों के अनुसार भुगतान किये जाने के साथ-साथ वन विभाग द्वारा ही पौध क्रय (buy back guarantee) किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के द्वारा उन्हें पौध उगाने की तकनीकी जानकारी के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है। वर्ष 2008-09 से चलाई जा रही इस योजना के वर्तमान में अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

आशा है कि यह पुस्तिका इस योजना के बेहतर ढंग से संचालन एवं प्रचार-प्रसार हेतु महिला समूहों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा इस योजना में सहयोगकर्ता की भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं आदि के सुगम मार्गदर्शन के लिये सहायक सिद्ध होगी।

2. समूह क्या है?

जब एक से अधिक व्यक्ति एक सोच व उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं और ही समूह कहते हैं। समूह लोगों की भीड़ या जमावड़ा नहीं है। समूह या संगठन एक रोग माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, उनका समाधान हंट सकते हैं. उपलब्ध संसाधनों का उचित व अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। किसी आर्थिक कार्यक्रम की शुरूआत कर सकते हैं व जनसमुदाय के बीच विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं।

जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह में कार्य करते हैं उसे समूह कहते हैं। कुछ लोगों का एकत्रीकरण ही समूह है यदि वे -

किसी सामान्य कार्य या उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करते हों। सामान्य समझ व रूचि रखते हों। सामान्य समझ व रूचि के बिना आपस में संवाद (बातचीत) नहीं हो सकती और न ही लोग अपनों को समूह का सदस्य मानेंगे।

समूह के सभी लोग नियमित रूप से आपस में मिलते-जुलते हों, समस्याओं पर चर्चा करते हों, मिलकर निर्णय लेते हों व एक साथ समस्या के समाधान के लिए कार्य करते हों। समूह के नियम सभी की सलाह से बनाये गये हों व सभी को उनके बारे म ज्ञान हो।

समूह का नेतृत्व एक या अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतृत्व की समूह में स्वीकार्यता हो अर्थात लोग अपने नेता का स्वीकार करते हों।

किसी भी कार्य को सामूहिक रूप से करते हों व आपस में खुले रूप से विचार -विमर्श करते हों।

3. समूह की आवश्यकता क्यों ?

समूह में रहने से व्यक्ति को अपार शक्ति मिलती है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह अकेला नहीं है उसकी मदद करने के लिए उसके साथ अन्य लोग भी हैं। यह भावना उसके अन्दर भय, असुरक्षा, संकोच व अविश्वास को दूर करती है। मनुष्य का मिल जुल कर समूह में कार्य करने का पुराना इतिहास रहा है। पारस्परिक लाभ एवं

सामूहिक जीविकोपार्जन के लिए समूह मुख्य आधार रहा है। समूह की आवश्यकता. दैनिक जीवन से जुड़ी है। स समूह में कार्य करने से समूह से जुड़े व्यक्तियों की क्षमता का विकास होता है। सामाजिक सीख का सबसे बड़ा माध्यम समूह है। स किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी या प्रशिक्षण समूह के माध्यम से कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स किसी भी कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एकजुट होकर कार्य करने के लिये समूह जरूरी है। समूह द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया जा सकता है।

4. समूह में सहभागिता

सहभागिता क्या है?

सहभागिता का अर्थ है भागीदारी अर्थात किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने या हिस्सेदारी करना सहभागिता कहलाता है। समूह के सभी कार्य व प्रक्रिया सदस्यों की सहभागिता पर ही निर्भर करती है। समूह में हर तरह के सदस्य होते हैं, कुछ अत्याधिक सक्रिय, कुछ कम सक्रिय और कुछ निष्क्रिय। कुछ सदस्य चुप रहकर भी समूह में सहभागिता निभाते हैं। लेकिन अगर समूह में बिल्कुल निष्क्रिय सदस्य हैं तो उनकी निष्क्रियता समूह के लिए हानिकाकर है।

कोई भी संगठन तभी निरन्तर चल सकता है। जब समूह का वातावरण सहयोगात्मक हो, संगठन से जुड़े लोगों के आपस में सम्बंध अच्छे हों, सदस्य संगठन बनाने के उद्देश्य को भली-भांति समझते हों। अगर ये सब बातें संगठन में है तो संगठन में सहभागिता बनी रहेगी। अगर सभी लोग समूह के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, समूह के नियम कानून बनाने एवं उनका पालन करने में सहयोग एवं रूचि दिखाते हो तो सदस्यों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता है। अगर समूह में उपरोक्त बातों की कमी है तो संगठन में सहभागिता प्रभावित हो सकती है। परिणामस्वरूप संगठन टूटना शुरू हो जायेगा।

सहभागिता क्या है?	सहभागिता के लाभ
• परस्पर मेलजोल	• जागरूकता बढ़ती है
• भाग लेना	• उचित नियोजन होता है
• टीम भावना	• आदर की भावना बढ़ती है
• परस्पर योगदान	• स्वरोजगार के अवसर
• परस्पर सहयोग	• जिम्मेदारी का अहसास
• जानकारी एवं अनुभवों का आदान-प्रदान	• कार्य में रूचि का बढ़ना
• आम सहमति	• संसाधनों का समुचित उपयोग
• सुझाव लेना व देना	• सौहार्द की भावना का विकास
• संगठन निर्माण	• सफलता के अवसर
• भावनाओं को समझना	• विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी
• मिलकर निर्णय लेना	• सामाजिक कार्यो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
• समयबद्धता	• परस्पर विश्वास
• अस्तित्व को स्वीकार करना	• उत्पादन में वृद्धि
• परस्पर विचार-विमर्श	• मितव्ययिता
• प्रेरित करना	• पैसे का प्रबंधन
• समान उद्देश्य	• गुणवत्ता में सुधार
पारदर्शिता रखना	• आत्मविश्वास में वृद्धि
• लक्ष्य पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयास करना	• समयबद्धता

5. स्वयं सहायता समूह से समूह के सदस्यों को लाभ

1. जैसे बूंद-बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही सभी सदस्यों की थोड़ी-थोड़ी बना इकट्ठी होकर बड़ी राशि बन जाती है। बचत ही विकास का पहला कदम
2. नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्तर में सुधार व **व स्वावलम्बन में** वृद्धि।
3. सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण में समूह द्वारा मार्गदर्शन पहला कदम है।
4. रोजगार सम्बन्धी जानकारी एवं मार्गदर्शन।
5. विशेषज्ञों, सरकारी विभागों आदि से साक्षरता, स्वरोजगार, स्वास्थ्य सम्बन्धी महिला समूहों हेतु चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी समूह के रूप में प्राप्त करना।
6. समूह से सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास।
7. विभिन्न प्रकार का विकास, मदद व बैंक से ऋण मिलने में आसानी।
8. स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ बाद में सहभागिता द्वारा गांव का भी विकास।

6. समूह की नियमावली

1. समूह की संरचना
2. बैठक
3. बचत
4. ऋण का लेनदेन
5. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का चयन तथा उनका कार्यकाल
6. बैंक में खाता संचालन पर चर्चा

7.समूह में अभिलेख

समूह का लेनदेन व्यवहार दर्पण की तरह साफ-साफ होना चाहिए। रिकार्ड सही रखने से सदस्यों का विश्वास बना रहता है तथा बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा रहती है। अत: महिला समूह के पास कम से कम निम्नलिखित अभिलेख अवश्य होने चाहिये-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. पास बुक
3. बचत एवं ऋण रजिस्टर

8. महिला किसान पौधालय योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश

1. स्थापना:

महिला पौधालय की स्थापना वन विभाग की वर्तमान में परित्यक्त (Abandoned) अथवा वर्तमान पौधालय में की जा सकती है। निजी भूमि पर स्थापित की जाने वाली पौधालय को वरीयता दी जायेगी। वन विभाग के पौधालयों में स्थापित पौधशाला हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुमति निर्धारित शर्तों के अनुरूप एक समय में पांच वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु होगी।

2. सामग्री:

प्रत्येक प्रभाग महिला नर्सरियों की आवश्यकता के अनुरूप प्रजातिवार बीज की मात्रा पर आंकलन करें तथा यथा शीघ्र सिल्वा हिल अथवा सिल्वा साल से उच्च गुणवत्ता के बीच प्राप्त कर सम्बन्धित महिला समूहों को उपलब्ध करायेंगे। सिल्वा से बीज उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी प्लस ट्री से बीज एकत्र कराकर तद्नुसार समूहों को उपलब्ध करायेंगे, जिससे समय पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। बीज उपलब्ध कराते समय यह भी ध्यान रखा जायेगा कि कथित नर्सरी में केवल उपयुक्त प्रजाति के ही बीज/मात्रा उपलब्ध करायी जाय जिससे अवांछित पौधे नर्सरी में न उगाये जा सकें। समूह द्वारा मांग किये जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पौधालय हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय में समूह को यथा सम्भव सहयोग दिया जायेगा।

क्षमता विकास का प्रशिक्षण

महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित वन प्रभाग के द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से निम्न विषयों पर कराया जायेगा:

(क) पौधशाला स्थापित करने सम्बन्धी आधारभूत जानकारी।

(ख) नर्सरी से सम्बन्धित अभिलेख आदि रखे जाने तथा बैंक एकाउन्ट का संचालन एस०एस०जी० का संचालन एवं माइक्रो डिटिंग आदि की आधारभूत जानकारी।

(ग) बीज, खाद एवं कम्पोस्टिंग तथा जड़ी-बूटी आदि के सम्बन्ध में आधारभूत प्रशिक्षण।

(घ) पौधालय तकनीक तथा अध्ययन भ्रमण।

4. अनुदान भुगतान की प्राविधि:-

योजना अंतर्गत वन विभाग को प्राप्त अनुदान का महिला समूहों को भुगतान का (schedule) निम्न प्रकार होगा :

प्रथम किस्त	10%	अग्रिम के रूप में सामग्री क्रय तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु।
द्वितीय किस्त	30%	थैली भरान कर बीज बुआई के उपरान्त।
तृतीय किस्त	30%	पौध उगाने के 6 माह बाद पौध अंकुरण व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए।
चतुर्थ किस्त	30%	पौध तैयार होने पर क्रय से पूर्व।

सम्बन्धित वन रक्षक द्वारा कार्य की प्रगति का अनुरक्षण समय-समय पर कर इसकी सूचना उच्च स्तर को भी दी जायेगी जिसके आधार पर किस्तों का भुगतान किया जायेगा। किस्तों को भुगतान उपरोक्त कार्यों को सम्पादित किये जाने की स्थिति तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

5. अनुदान की धनराशि का सीड मनी (Seed Money) के रूप में उपयोग :

महिला स्वयं सहायता समूह को प्रदान की गयी अनुदान धनराशि का उपयोग पूंजीगत धनराशि (Seed Money) के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम में वद्धिव निरंतरता बनी रहे। अनुदान धनराशि को चक्रीय कोष के रूप में रखा जाय। अनदान धनराशि विभाग द्वारा किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसको समूह के खाते में जमा किया जायेगा, जिसका उपयोग प्रारम्भ में महिला समूह द्वारा पौध उगाने में किया जा सकता है। पौधों के विक्रय से जो धनराशि प्राप्त होगी उसे सीड मनी के सापेक्ष सीड मनी को धनराशि की न्यूनतम सीमा तक चक्रीय कोष में जमा किया जायेगा। लाभ यदि कोई हो तो उसका उपयोग महिला समूह के सदस्य इस धनराशि को चक्रीय कोष की वृद्धि अथवा आपस में आय के रूप में समूह के सदस्यों में वितरित कर सकते हैं।

6. बैंक खाते का क्रियान्वयन :

बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस की स्थानीय शाखा में खोला जाय जिसको समूह के दो सदस्यों (महिला समूहों द्वारा चयनित अध्यक्ष व सचिव) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

7. पौध विक्रयः

MOU में निर्धारित प्रजाति वार पौधों की संख्या के अनुसार पौधों का क्रय वन विभाग द्वारा किया जायेगा। विभाग को आपूर्ति के पश्चात उगायी गई अतिरिक्त पौध यदि कोई है तो महिला समूह उस पौध को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय कर सकता है। वन विभाग द्वारा क्रय की जाने वाले पौध यदि वे वन विभाग की पौधालय में उगाई गई है, उसका क्रय सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा जारी एवं तत्समय लागू अनुसूचित दरा पर। जायेगा।

निजी भूमि पर स्थापित पौधशाला से पौधों का क्रय वन विभाग द्वारा इसक लिए 20 निर्धारित दरों पर किया जायेगा। यह दरें पृथक से जारी की जा रही है।

7. महिला नर्सरी विकास योजना के संचालन हेतु विभिन्न stakeholder (पक्षकारों) के दायित्व/कर्तव्य :

(अ) वन विभाग:

1. नर्सरी में पौधों को उगाने हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. नर्सरी में पौधों को उगाने हेतु विभिन्न संसाधन, सामग्री (प्रमाणित बीज, पॉलीथीन बैग, रूट ट्रेनर, खाद, मिट्टी छानने की छलनी आदि) की आपूर्ति हेतु विभिन्न अधिकृत विक्रेताओं से समन्वय स्थापित कर आपूर्ति कराने हेतु सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी में पौधों को उगाने के कार्यों में विभिन्न चरणों (थैली में पौटिंग मिश्रण भरना बीजों/कटिंग की अंकुरण/निराई, गड़ाई,शिफ्टिंग, ग्रेडिंग कार्य) में कार्य की प्रगति की अनुश्रवण/समीक्षा करना।
4. विभिन्न विभागीय वनीकरण योजनाओं में आवश्यकतानुसार उपयुक्त पौधों को समूह से क्रय करने हेतु अनुबंध के अनुसार buy back guarantee प्रदान करना।
5. वन विभाग के अलावा समूह के पौधे की बिक्री कराने हेतु अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं (विकासखण्ड,राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि) से समन्वय स्थापित कर पौध बिक्री करने हेतु सहयोग देना।
6. वन विभाग द्वारा नर्सरी कार्य हेतु विभिन्न किश्तों में प्राप्त राजकीय अनुदान को महिला समूह के खाते में हस्तान्तरण कराना।

(ब) महिला स्वयं सहायता समूहः

1. समूह द्वारा नर्सरी हेतु चयनित/आवंटित स्थान में समय से पौधशाला विकास (बीज का उचित भंडारण एवं उपचार यथासमय बुआई कार्य सहित)।
2. बीज अंकुरण/कटिंग लगाने के पश्चात् समय-समय पर वन विभाग द्वारा विकसित तकनीकी निर्देशन के अनुसार गुड़ाई एवं शिफ्टिंग/ग्रेडिंग आदि करना।

3. समूह द्वारा वन विभाग के प्रतिनिधि के समय-समय पर कार्य के अनुश्रवण में सहयोग प्रदान करना।
4. वन विभाग को अनुबंध के अनुसार रोपण काल में उपयुक्त प्रजातिवार निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप चिन्हित पौधों को समय से उपलब्ध कराना।
5. वन विभाग/अन्य संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को समूह के खाते में जमा कराना एवं आय-व्यय के संचालन हेतु उगाये गये पौधों की प्रगति सूचना सम्बन्धित वन रक्षक को मासिक रूप से प्रेषित करना एवं प्राप्त धनराशि के सापेक्ष समुचित लेखा विवरण तथा कैश बुक अध्यावधिक रखना।

(9) विविध:

1. योजना में प्राप्त अनुदान का आवंटन समूह द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की संख्या के अनुरूप किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत वन प्रभाग का लक्ष्य पौधशाला की संख्या न होकर पौधों की संख्या के रूप में होगा।
3. महिला समूह वन विभाग द्वारा MOU के माध्यम से दिये गये लक्ष्यों के अतिरिक्त स्थानीय मांग के अनुसार पौधालय में उपलब्ध स्थान की सीमा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पौध उगाने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा उन पौधों को स्वयं उनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दोनों पक्षों के मध्य तय दरों पर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।
4. महिला नर्सरी द्वारा विभाग से आवंटित लक्ष्यों के अलावा अपने स्वयं के प्रयासों से स्थानीय मांग के अनुसार बायो खाद, उन्नत घास के बीज आदि भी उगाने एव बेचने हेतु स्वतंत्र होंगे।
5. स्थापित महिला नर्सरी की पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

9. क्षेत्र भ्रमण के दौरान विगत वर्षों में क्रियान्वित इस योजना के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

1. इस योजना का लाभ प्राथमिकता से गरीब व निर्बल वर्ग की महिलाओं को दिया जाना चाहिए।
2. समूह में कम से कम पांच व अधिक से अधिक बीस सदस्याएं होनी चाहिए।
3. योजना से सम्बन्धित भुगतान सीधा महिला समूहों के बैंक खाते में होना चाहिए व लेन-देन की जानकारी प्रत्येक सदस्या को होनी चाहिए।
4. महिला समूहों की नियमित रूप से मासिक बैठक होनी चाहिए। इसका अनुश्रवण सम्बन्धित वन प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाह किया जाना चाहिए।
5. महिला समूहों के पास कार्यवाही रजिस्टर बैंक की पासबुक, कैश बुक (बैंक सम्बन्धी लेन-देन का हिसाब),निरीक्षण पंजिका आदि अभिलेख होने चाहिए।
6. वन विभाग द्वारा बाईबैक की गारन्टी सुनिश्चित किया जाना ताकि महिला समूहों को एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु पौधों की देखरेख हेतु अतिरिक्त व्यय न करना पड़े।
7. महिलाओं को पौध उगाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना।
8. पौध उगाने हेतु उचित साईज के पॉलीथीन बैंक (8" x 5" इंच) उपलब्ध कराया जाना।
9. उगाई जा रही प्रजातियों का चयन स्थानीय मांग के अनुसार किया जाना ताकि पौध उगाने के पश्चात् आसानी से विक्रय की जा सके।